अध्यादेश संख्या 4

विभागाध्यक्षों के कार्य और कर्तव्य

- विभागाध्यक्ष विभाग का शैक्षणिक प्रमुख होगा और वह विभाग और पाठ्य सिमित (बीओएस) की बैठकों को बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता की जाएगी।
- 2. विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत रहेंगे :
 - विभाग में शिक्षण और शोध कार्य आयोजित करना।
 - II. विभाग द्वारा आबंटित शिक्षण कार्य के अनुसार समय-सारिणी तैयार करना।
 - III. अध्यापकों के माध्यम से कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना।
 - IV. विभाग के अध्यापकों को ऐसे कार्य सौंपना जो विभाग के स्चारू कार्य के लिए आवश्यक हो।
 - V. विभाग के गैर शैक्षणिक कर्मियों को कार्य सौंपना तथा उनके ऊपर नियंत्रण रखना ।
 - VI. विभाग के शिक्षण और शोध के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए विभागाध्यक्ष की जबावदेही होना।
 - VII. विभाग के रिकॉर्ड, उपकरणों और फर्नीचरों तथा विभागीय पुस्तकालय के लिए विभागाध्यक्ष की जबावदेही होना।
 - VIII. विभाग के बजट का प्रचालन करेगा ।
 - IX. अधिष्ठाता, संबंधित स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

ORDINANCE NO: 4

FUNCTIONS & DUTIES OF THE HEADS OF THE DEPARTMENTS

- 1. The Head of the Department shall be the academic head of the Department and shall convene and preside over the meetings of the Department and the Board of Studies.
- 2. The Head of the Department shall under the general supervision of the Dean:
 - (i) Organize the teaching and research work in the Department.
 - (ii) Frame the time table in conformity with allocation of the teaching work made by the Department.
 - (iii) Maintain discipline in the class rooms and laboratories through the teachers.
 - (iv) Assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department.
 - (v) Assign work to and exercise control over the non-teaching staff in the Department.
 - (vi) Be responsible for the coordination and supervision of teaching and research in the Department.
 - (vii) Be responsible for the records, equipment and furniture of the Department and the books of the Departmental Library.
 - (viii) Operate the Budget of the Department
 - (ix) Perform such other functions as may be assigned by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council and the Vice-Chancellor.